न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 275 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 456

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1.गोपालसिंह पुत्र मालसिंह

2.मदनसिंह पुत्र मालसिंह

3.मोटसिंह पुत्र मालसिंह

4.सुमेरसिंह पुत्र मालसिंह

5.गोविन्दसिंह पुत्र जुगताजी

6.सुआदेवी पत्नी मालसिंह

जाति राजपुरोहित

निवासी माझीवाला

तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

विप्रार्थीगण

1.अभयसिंह पुत्र शंकरलाल

2.आम्बाराम पुत्र मन्शाराम

3.ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल

4.केवलराम पुत्र मन्शाराम

5.कोंकुदेवी पत्नी मन्शाराम

6.गोविन्द पुत्र हरदान

7.चुकी पत्नी हरदान

8.चैनसिंह पुत्र पोकर नाबालिग जरीए कुदरती वली माता सरजुदेवी पत्नी पोकर

9.चैनाराम पुत्र मन्शाराम

10.जुगतसिंह पुत्र पोकर नाबालिग जरीए कुदरती वली माता सरजुदेवी पत्नी पोकरराम

11.जगमाल पुत्र भूरारजी

12.जैसा पुत्र जामता

13.नरपतसिंह पुत्र पोकर नाबालिग जरीए कुदरती वली माता सरजुदेवी पत्नी पोकर

14.पुखराज पुत्र मन्शाराम

15.बबरी पत्नी शंकरलाल

16.भंवरा पुत्र जामता

17.भागीरथ पुत्र शंकरलाल

18.भीमसिंह पुत्र शंकरलाल

19.सरजुदेवी पत्नी पोकरराम

20.हनुमान पुत्र जामता

21.दौलसिंह पुत्र कुकाजी

22.बाबूसिंह पुत्र कुकाजी

23.मु. चूनी पत्नी कुकाजी

24.शंकरसिंह पुत्र कुकाजी

25.शांतिदेवी पत्नी मांगीलाल

26.सुजानसिंह पुत्र कुकाजी

जाति राजपुरोहित

निवासी आसोतरा फांटा,मांझीवाला जसोल

27.अखाराम पुत्र माधाराम जाति प्रजापत

28.चोथीदेवी पत्नी हरीसिंह जाति राजपूत

29.गुणेशाजी पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत

30.दीपाराम पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत

31.भंवरसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत

निवासी किटनोद तहसील पचपदरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

32.अब्दुलरहमान पुत्र अलीजी
जाति प्रजापत
33.आत्माराम पुत्र मदनलाल
जाति ब्राहमण
34.इन्साफखां पुत्र गनीखां
जाति मुसलमान
35.उत्तमसिंह पुत्र तुलछाजी
जाति राजपुरोहित
36.ओमप्रकाश पुत्र सांवालाराम
जाति माली
निवासी आसोतरा फाटा, माझीवाला जसोल
37.उत्तमसिंह पुत्र खेतसिंह
जाति राजपुरोहित
38.खीमसिंह पुत्र जुहारसिंह राजपुरोहित
39.भीखसिंह पुत्र जगमालसिंह
निवासी सिणेर तहसील सिवाना
40.केरसिह पुत्र जवारसिंह जाति प्रजापत
41.कालुसिंह पुत्र रूगनाथसिंह
जाति राजपुरोहित
निवासी आसोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
42.किसनाराम पुत्र घमण्डाराम
जाति परिहार
43.खुशालसिंह पुत्र भवानीसिंह
जाति राजपुत
44.गोपालकरण पुत्र मोहनलाल
जाति विजयवर्गीय
45.घेवरचंद पुत्र मिसराराम जाति दर्जी
46.घेवरसिंह पुत्र शंकरलाल
जाति पुरोहित
47.चुकी देवी पत्नी पेमाराम जाति दर्जी
48.चांकुदेवी पत्नी जैसाराम जाति ब्राहमण
49.चोथीदेवी पत्नी दीपाराम जाति दर्जी
50.जबरसिंह पुत्र रूगनाथसिंह
जाति पुरोहित
51.टीकमाराम पुत्र कालुराम
जाति प्रजापत निवासी आसोतरा फांटा, माझीवाला जसोल
52.पुखराज पुत्र जसराज जाति ओसवाल
53.पुखाराज पुत्र जेसिंह जाति प्रजापत
54.पुष्पादेवी पत्नी हंजारीमल
जाति प्रजापत

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

55.पुष्पादेवी पत्नी डुंगरसिंह
जाति प्रजापत
56.पारसमल पुत्र धनराज जाति दर्जी
57.बगसुदेवी पत्नी पुखराज
58.बसन्तलाल पुत्र वगताजी
जाति प्रजापत
59.बाबुसिंह पुत्र मेहरामजी
जाति राजपुरोहित
60.वीनारोन पत्नी हेमन्त कुमार
जाति प्रजापत
61.भैरूसिंह पुत्र जसवन्त सिंह
जाति प्रजापत
62.भुराराम पुत्र रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण
63.भंवरलाल पुत्र मुरलीधर जाति श्रीमाली
64.भंवरी देवी पत्नी मालसिंह
जाति राजपुरोहित
65.भाग्यवती पत्नी कान्तिलाल ओसवाल
66.मंजुकंवर पत्नी तेजसिंह ओसवाल
67.मालसिंह पुत्र मोड़सिंह
जाति राजपुरोहित
68.मीरादेवी पुत्री खीमराज जाति प्रजापत
69.मोवनीदेवी पत्नी शंकरलाल
70.मोहनलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति माली
71.मोहनसिंह पुत्र अचलसिंह राजपुरोहित
72.रणछोड़ पुत्र धनजी जाति दर्जी निवासी आसोतरा फांटा माझीवाला जसोल
73.रेशमकंवर पत्नी नारायणसिंह प्रजापत
74.रणछोड़ पुत्र वेनाजी प्रजापत निवासी मांगला तहसील समदड़ी
75.रामस्वरूप पुत्र फरसराम
76.लुणीदेवी पत्नी अमराराम प्रजापत
77.वसनाराम पुत्र मांगीलाल
78.विजयकुमार पुत्र मदनलाल
79.विजयकुमार पुत्र रामस्वरूप
जाति अग्रवाल
80.विजयकुमार पुत्र कुन्दनमल
81.विमला पत्नी भंवरलाल श्रीमाली
82.शंकरजी पुत्र हरकेनजी राजपुरोहित
83.शंकरलाल पुत्र धनराज प्रजापत
84.शांतिदेवी पत्नी मांगीलाल
85.शांति देवी पत्नी जगमालसिंह
86.सुकी देवी पत्नी जयसिंह
87.सुखी देवी पत्नी सवाराम

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

88.सुरेश कुमार पुत्र मिसराराम
जाति दर्जी निवासी आसोतरा फांटा
माझीवाला,जसोल
89.स्थानीय निकाय नगरपरिषद बालोतरा
90.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा,जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 22 से 24 व 26

2.विप्रार्थी संख्या 1 से 21 व विप्रार्थी संख्या 25 एवं 27 से 90 एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 06.12.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मांझीवाला पटवार हल्का मांझीवाला तहसील पचपदरा की प्रार्थी संख्या 01 से 06 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1306/792 क्षेत्रफल 0.9793 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 07 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1305/792 क्षेत्रफल 0.1214 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मांझीवाला पटवार हल्का मांझीवाला तहसील पचपदरा की प्रार्थी संख्या 01 से 06 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1306/792 क्षेत्रफल 0.9793 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 07 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1305/792 क्षेत्रफल 0.1214 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 14 व 22 से 24 एवं 26 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया तथा उक्त विप्रार्थी को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 14 व 15 से 21 एवं 25 व 2 से 90 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 22 से 24 व 26 अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मांझीवाला पटवार हल्का मांझीवाला तहसील पचपदरा की प्रार्थी संख्या 01 से 06 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1306/792 क्षेत्रफल 0.9793 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 07 के खातेदारी खेत खसरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

संख्या 1305/792 क्षेत्रफल 0.1214 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मांझीवाला पटवार हल्का मांझीवाला तहसील पचपदरा की प्रार्थी संख्या 01 से 06 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1306/792 क्षेत्रफल 0.9793 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 07 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1305/792 क्षेत्रफल 0.1214 हैक्टयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावें।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 22 से 24 व 26 अधिवक्ता नें वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से मनगढन्त तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है,जो चलने योग्य नहीं है। क्योकि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में विप्रार्थी द्वारा कभी भी दखलदान्जी नही की गई है। इसके विपरीत प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे दखलदान्जी की जाती है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मांझीवाला पटवार हल्का मांझीवाला तहसील पचपदरा की प्रार्थी संख्या 01 से 06 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1306/792 क्षेत्रफल 0.9793 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 07 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1305/792 क्षेत्रफल 0.1214 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 27.6.2022 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मांझीवाला पटवार हल्का मांझीवाला तहसील पचपदरा की प्रार्थी संख्या 01 से 06 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1306/792 क्षेत्रफ़ल 0.9793 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 07 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1305/792 क्षेत्रफल 0.1214 हैक्टयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 06.12.2024 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा